

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./38/अ-82/2019-20/6318

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 11 कुल रकवा 2.394 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रायपुरा प.ह.न 38 रा.नि. वृत्त 02 श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये 2.394 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स. क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	437/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.070	प्रभूलाल पुत्र गोर्धन जाति कलार नि. ग्राम रायपुरा
2	438	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.491	प्रभूलाल पुत्र गोर्धन जाति कलार नि. ग्राम रायपुरा
3	445	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.823	गीताबाई पत्नि मुकुटबिहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य नि. श्योपुर
4	447	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.345	बाबूलाल शंभू पुत्रगण नारायण उर्मिला शिलोबाई मिथलेश कविता पुत्रियान नारायण जाति ब्राह्मण नि. श्योपुर
5	448/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी श्योपुर
6	449	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी श्योपुर
7	454/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी बर्धाबुजुर्ग
8	454.3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.132	गीताबाई पत्नि मुकुटबिहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य नि. श्योपुर
9	464/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115	हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम बर्धाबुजुर्ग
10	464/3 465	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.110	हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम बर्धाबुजुर्ग
11	466	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.035	प्रदीप नाबा पुत्र मुरारीलाल नाबा सर पिता जाति मीणा नि. ग्राम
किता 11			कुल	2.394	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर
तारीख 08.08.2019



LS
(बसंत कुरी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क. 38/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/6319
प्रतिलिपि-

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील श्योपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।

LS
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)